झाँसी पुलिस

प्रेस नोट

थाना बरूआसागर,झाँसी

दिनांक- 15.11.2026

थाना बरूआसागर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 09/07/2026 को वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर थाना बरूआसागर पर मु0अ0सं0 162/26 धारा 137(2) बीएनएस पंजीक्रत किया गया था विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त से संबंधित पीड़िता/अपहृता की सकुशल बरामदगी दिनांक 14/11/26 को की गई। बयान पीड़ित/अपर्हता के आधार पर अभियुक्त - अरविन्द उर्फ प्यारेलाल पुत्र कल्लन कुशवाहा निवासी पल्लपुरा घसरपुरा, थाना बरुआसागर जिला झाँसी उम्र 18 वर्ष 04 माह का नाम प्रकाश मे आया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री विकास कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्रीमती प्रीति सिंह व क्षेत्राधिकारी टहरौली श्री रक्षपाल सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बरूआसागर श्री प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.11.2026 को अभियुक्त - अरविन्द उर्फ प्यारेलाल पुत्र कल्लन कुशवाहा निवासी पल्लपुरा घसरपुरा, थाना बरुआसागर जिला झाँसी उम्र 18 वर्ष 04 माह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

अभियुक्त का विवरण- अरविन्द उर्फ प्यारेलाल पुत्र कल्लन कुशवाहा निवासी पल्लपुरा घसरपुरा, थाना बरुआसागर जिला झाँसी उम्र 18 वर्ष 04 माह

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1-उ0नि0 श्री राहुल कुमार सिंह थाना बरुआसागर झांसी।

2- का01321 ललित कुमार थाना बरुआसागर जिला झाँसी।

3.म0का0 सुप्रिया थाना बरुआसागर जिला झाँसी।

1.